GCMS Number : 2024/10

मुकदमा नम्बर : 02/2024

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार	1. महावीर चन्द कोठारी पुत्र मोरूमल
जरिये भूमिधारी	2.
तहसीलदार रायपुर	जाति जैन निवासी [illegible]

....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरूस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी महावीरचन्द कोठारी निवासी गिरी के नाम से ग्राम नारपुरा पटवार मंडल गिरी तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरूस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का गिरी एवं भू अ.नि. गिरी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुध्दि के आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर
तहसीलदार (राज.)
जिला ब्यावर रायपुर

फर्दमौका

आज दिनांक 7.1.2024 को ग्राम नारपुरा के खसरा संख्या 1652/590 रकबा 1.6187 किस्म बारानी प्रथम खातेदार महावीर चन्द कोठारी पुत्र नोरतमल कौम जैन का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा

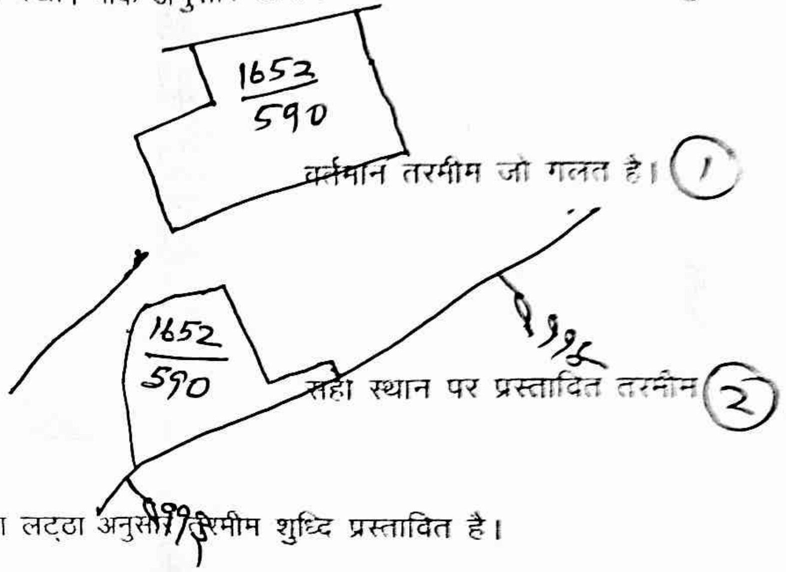

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुध्दि प्रस्तावित है।

संलग्न–1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

[हस्ताक्षर]
हस्ताक्षर गवाहान
[illegible]
जगदीश

[हस्ताक्षर]
हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का गिरी की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जाच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

[हस्ताक्षर]
हस्ताक्षर भू अ निरीक्षक
गिरी

9/53
11/10

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का ....गिरी.... जांच भू अ. नि. ....गिरी....
के आधार पर तरमीम शुध्दि की अनुशंषा की जातीहै।

तहसीलदार रायपुर
जिला-ब्यावर (राज.)

मुकदमा नम्बर → 02/2024

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम ....नारपुरा.... के खसरा संख्या 1652/590 रकबा 1.6187 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर पालना कर , पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
24/9/2024
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)